उत्तरांचल सरकार
कार्मिक विभाग
संख्या-1405/कार्मिक-2 /2003
देहरादून: दिनांक:08-10-2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-99/II-वी-151-50, दिनांक 29 जनवरी, 1954 समय-समय पर यथा संशोधित जो कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में लागू है, का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उन सेवाओं तथा पदों के जिन पर नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं तथा पदों के सदस्यों से की जाती है या जो ऐसी सेवा के प्रयोजन हेतु बनाये गये नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किये जाते हैं, के अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य के मामलों से सम्बन्धित सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इस विनियम को उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 2003 कहा जायेगा

(2) यह अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियम में-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(घ) ''सीधी भर्ती'' का तात्पर्य प्रोन्नति, स्थानान्तरण अथवा इस विनियम के नियम 4(क) के अधीन प्रतिनियुक्ति अथवा भर्ती से है;

(ङ.) ''राज्यपाल'' और ''सरकार'' से तात्पर्य क्रमशः उत्तरांचल के राज्यपाल और सरकार से है;

(ङ.ङ.)समूह ''ग'' पद या समूह ''घ'' पद का तात्पर्य पद के लिए लागू सेवा नियमावली में इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है और यदि ऐसे कोई नियम न हों तो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों से है;

(च) ''सेवा'' या ''पद'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सिविल सेवा और पद से है;

3. सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर सीधी भर्ती के निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :-

(क) समूह "ग" के पदों और समूह "घ" के पदों पर भर्ती की रीतियों के सभी मामलों पर;

(ख) समूह "ग" के पदों और समूह "घ" के पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर;

परन्तु यह कि सरकार आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि समूह "ग" का कोई पद आयोग के क्षेत्र के भीतर होगा;

परन्तु यह और कि यदि समूह "ग" के कोई पद उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 2003 के प्रारम्भ होने से पूर्व आयोग के क्षेत्र के भीतर हो और जिसे आयोग के क्षेत्र के भीतर ही रखने का निर्णय लिया गया हो तो ऐसे पद आयोग के क्षेत्र के भीतर ही बने रहेंगे।

(ग) जब सम्बद्ध सेवा या पद पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई अन्य प्राधिकारी है, और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक के या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसा तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हतायें रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

टिप्पणी- इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित समूह "ग" के पद आयोग के क्षेत्र के अन्दर बने रहेंगे जब तक कि आयोग से परामर्श के पश्चात् इसके विपरीत निर्देश निर्गत न किये जाय।

4- सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती की रीतियों या ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा ।

(क) जब राज्यपाल द्वारा राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा के सदस्य को उसके संवर्ग से बाहर ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर नियुक्त, जिसकी प्रास्थिति और दायित्व ऐसे हों जिनका राज्यपाल के मत में उस सेवा के सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से निर्वहन किया जा सकता है;

टिप्पणी- इस खण्ड में "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद को मौलिक रूप से धारण कर रहा है।

दृष्टान्त (1) उत्तरांचल शिक्षा सेवा के किसी अधिकारी को उत्तरांचल सचिवालय में अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव अथवा विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(2) उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के किसी सदस्य को उप विकास आयुक्त या संयुक्त सचिव, अपर सचिव, उत्तरांचल सचिवालय अथवा किसी सरकारी निगम यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम में सामान्य प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर या किसी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है और ऐसी नियुक्ति से उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) में उसका धारणाधिकार समाप्त न होता हो, आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(3) उत्तरांचल सचिवालय सेवा के (अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के सदस्य को राज्य सरकार के अनु सचिव, उप सचिव के पद पर या उत्तरांचल सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति के मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(ख) जब राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे पद जिसका व्ययभार राज्य के समेकित निधि के भारित मद से वहन किया जाता है, पर नियुक्ति की जाये।

(ग) जब राज्य के उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का उच्च न्यायालय नैनीताल में रजिस्ट्रार, जनरल, डिप्टी रजिस्ट्रार आफिशियल ट्रस्टी और लॉ (Law) रिपोर्टर पर नियुक्ति की जाये।

(घ) सेना के नान-कमीशन्ड आफिसर अथवा वारन्ट आफिसर की असैनिक सेवा के ऐसे पद पर जो ऐसे अधिकारियों द्वारा सामान्यत: धारित है अथवा राज्यपाल के मत में ऐसे अधिकारियों द्वारा धारित किये जाने चाहिये और सेना के किसी अधिकारी की सिविल सेवा अथवा पद पर अस्थायी नियुक्ति।

5. विनियम 3 तथा 4 में अन्तर्निहित किसी बात के होते भी निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात;

(क) किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर जो आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है सीधे अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति करनी हो बशर्ते कि उस पद पर नियुक्ति किये जाने वाला व्यक्ति द्वारा उस पद को कुल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये धारित करने की सम्भावना न हो, परन्तु यह कि इस प्रकार

नियुक्त व्यक्ति बिना आयोग से परामर्श लिये प्रश्नगत पद को एक वर्ष से अधिक अवधि की लगातार अवधि के लिए धारित नहीं कर सकेगा।

दृष्टान्त- यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के सेवा निवृत्त अधिकारी को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अस्थायी पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है। यदि पुनर्नियुक्त अधिकारी इस पद को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये धारित नहीं करता है लेकिन उसे इस पद पर बिना आयोग से परामर्श लिये एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रतिधारित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) आयोग के क्षेत्र के अन्दर के ऐसे पद पर नियुक्ति हेतु चयन जिसके बारे में यदि राज्यपाल ने आयोग के परामर्श से यह निर्णय ले लिया है कि इसे भारत के बाहर से भर्ती करके भरा जावे, आयोग से परामर्श की छूट की जा सकती है परन्तु यह तब जब राज्यपाल के मत में नियुक्ति तुरन्त की जानी हो और आयोग को सन्दर्भित करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।

(ग) राज्य के अधीनस्थ पुलिस बल में भर्ती के सम्बन्ध में।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड में "पुलिस बल" के अन्तर्गत प्रादेशिक सशस्त्र कान्टेबुलेरी और इसी प्रकार के अन्य ढाँचे सम्मिलित है।

6. पदोन्नतियाँ- पदोन्नतियाँ करने में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों अथवा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात्

(क) समूह "ग" के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, पदोन्नतियाँ करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियाँ करने में।

(ख) समूह "ग" के पदों से समूह "ख" के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहाँ भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियाँ करने में :

"खण्ड (ख) जब सम्बद्ध सेवा या पद के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है या राज्यपाल से भिन्न कोई अधिकारी है और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाने वाला सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित पदोन्नति के लिये अपेक्षित अर्हता रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् पदोन्नति के पद पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।"

7. स्थानान्तरण - उसी सेवा में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण के लिए उपयुक्तता के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के बारे में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा:

परन्तु यह कि यदि कोई सेवा दो या अधिक पृथक अनुभागों में विभक्त हो और यदि किसी अधिकारी को किसी ऐसे एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है तो आयोग से परामर्श लिया जायेगा । सेवा नियमों के अनुसार अनुभाग, जिसमें अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना है, में सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती आयोग के परामर्श से की जाये।

8. अनुशासनिक मामले-किसी अनुशासनिक मामले में आज्ञा देने से पहले आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा सिवाय उस दशा के जब-

(क) राज्यपाल द्वारा कोई मूल आज्ञा दी जाय जिसमें निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक दण्ड अधिरोपित किया गया हो:

(एक) समय वेतनमान में किसी प्रक्रम पर वेतन वृद्धि रोकना;
(दो) नीचे के किसी पद पर या समय वेतनमान में या किसी समय वेतनमान में नीचे के किसी स्तर में पदावनति;
(तीन) उपेक्षा या नियमों या आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्णरूप से या आंशिक रूप से वेतन या पेंशन से वसूली;
(चार) सेवा से हटाया जाना;
(पाँच) सेवा से पदच्युत किया जाना; और
(छः) पेंशन से सम्बद्ध नियमों के अधीन ग्राह्य पेंशन को कम किया जाना या रोकना या प्रत्याहरण करना;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल द्वारा आज्ञा संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन या राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुशासनिक प्रक्रिया (प्रशासनिक अधिकरण) नियमावली, 1947 जो वर्तमान में उत्तरांचल में लागू है, के अधीन दी जाती है या सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि रोकी जाती है, तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मामले में आयोग ने पहले ही किसी प्रक्रम पर आज्ञा दिये जाने के बारे में परामर्श दे दिया हो और राज्यपाल की राय में उसके बाद निर्णयार्थ कोई नया महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा न हुआ हो, तो राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज्ञा दिये जाने के पहले आयोग से पुनः परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(ख) अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील में राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज्ञा दी जावे यदि नियमों के अन्तर्गत अपील का प्रावधान हो;

स्पष्टीकरण- यदि अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया में कतिपय सारवान कमियां हों और राज्यपाल अधीनस्थ प्राधिकारी को नये सिरे से या किसी अनुवर्ती सोपान से, जैसी स्थिति हो, अनुशासनिक कार्यवाही चलाने की आज्ञा दे तो वह इस खण्ड के प्रयोजन हेतु राज्यपाल की अन्तिम आज्ञा नहीं समझी जावेगी।

अपवाद- अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिकारी (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1948 के अधीन प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध सिविल न्यायालय के कर्मचारियों के अपील के मामलों में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(ग) खण्ड (ख) से अन्यथा यदि राज्यपाल द्वारा पारित की जाने वाली आज्ञा द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के मूल, अपीलीय अथवा पुनरीक्षणीय आज्ञा के विरुद्ध व्यवस्था की जावे या उसकी आज्ञा को संशोधित किया जावे।कार्यवाही चलाने के निर्देश दें।

परन्तु यह कि यदि राज्यपाल द्वारा पारित की जाने वाली प्रस्तावित आज्ञा सक्षम अधीनस्थ प्राधिकारी को उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कतिपय सारवान कमियों के कारण केवल नये सिरे से अथवा किसी अनुवर्ती सोपान से अनुशासनिक कार्यवाही चलाने के निर्देश दे तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

दृष्टान्त-(1) राज्यपाल यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यवाही शाखा) के किसी अधिकारी की परिनिन्दा करने का प्रस्ताव करते है तो ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। इसी प्रकार ऐसे किसी अधिकारी को उसके दुराचरण पर जाँच लम्बित होने की स्थिति में निलम्बित करते है तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(2) राज्यपाल यदि उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में मौलिक रूप से पदोन्नत किसी "क" तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर पदावनत करने का प्रस्ताव करते है तो राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा। लेकिन यदि "क" तहसीलदार स्थानापन्न रूप से उप जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है और उसकी असन्तोषजनक सेवाओं को देखते हुए राज्यपाल किसी समय "क" को उसके तहसीलदार के मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो "क" के ऐसे प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। दूसरी स्थिति यदि "क" तहसीलदार के विरुद्ध कतिपय गम्भीर आरोप हैं और "क" तहसीलदार स्थानापन्न रूप से उप जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है और ये आरोप प्रथम दृष्ट्या राज्यपाल को उचित प्रतीत होते है और इसलिये राज्यपाल यह समझते हैं कि "क" को जनहित में औपचारिक रूप से दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में "क" के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने के

उपरान्त राज्यपाल उसे पदावनति के दण्ड के परिणामस्वरूप तहसीलदार के उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी स्थिति में "क" के विरुद्ध पदावनति की आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

(3) लोक निर्माण विभाग के किसी अस्थायी सहायक अभियन्ता जो अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत् है, के द्वारा विभागीय भवन के निर्माण में कथित रूप से गम्भीर अनियमितताये किये जाने के आरोप हैं और उसके विरुद्ध तदनुसार आरोप पत्र तैयार किया जाता है और राज्यपाल द्वारा मुख्य अभियन्ता को उसके विरुद्ध औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही करके अपनी आख्या राज्यपाल को प्रस्तुत करने को कहा जाता है। मुख्य अभियन्ता की आख्या पर विचारोपरान्त राज्यपाल खण्ड "क" में उल्लिखित किसी औपचारिक दण्ड को अधिशासी अभियन्ता पर अधिरोपित न करने का निर्णय लेते हैं लेकिन मुख्य अभियन्ता की आख्या से इस अधिकारी के आचरण के बारे में जो कतिपय असन्तोषजनक पहलुओं को देखते हुये राज्यपाल उसे अधिशासी अभियन्ता का पद धारित करने के योग्य नहीं समझते हैं और उसे सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित करने की कार्यकारी आदेश निर्गत करते हैं। ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने के कार्यकारी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि इस आज्ञा के द्वारा खण्ड "क" में उल्लिखित "निम्न पद पर अवनति" का दण्ड विनिर्दिष्टत: दिया जाना अनर्निहित नहीं है।

(4) गेहूँ की कतिपय बोरियाँ जिला राशन गोदाम, जो जिला पूर्ति अधिकारी की अभिरक्षा में है, से लापता पाई जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी की आख्या पर विचार करने के बाद, राज्यपाल समझते हैं कि यह हानि जिला पूर्ति अधिकारी की असावधानी के कारण हुई है और उनसे सरकार को हुई इस हानि की प्रति-पूर्ति करने को कहते है। जिला पूर्ति अधिकारी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा क्योंकि हानि की राशि की वसूली जिला पूर्ति अधिकारी के वेतन से वसूल करने के लिए औपचारिक आज्ञा नहीं दी गई थी। यदि जिला पूर्ति अधिकारी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होते है, और राज्यपाल सरकार को हुई हानि की भरपाई जिला पूर्ति अधिकारी के वेतन से करने का प्रस्ताव करते है तो राज्यपाल द्वारा आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिये।

(5) अधीनस्थ सेवा के किसी अधिकारी को जो कृषि निदेशक के अधीन नियुक्त है, कृषि निदेशक द्वारा सेवा से पदच्युत किया जाता है और ऐसा करने के लिये वह सक्षम है। इस मामले में आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं क्योंकि सेवा से पदच्युति का दण्ड राज्यपाल द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है।

(6) "क" के विषय में जो उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का एक परिवीक्षाधीन सदस्य है, उसकी परिवीक्षा अवधि के अन्त में यह बतलाया जाय कि वह सन्तोष प्रदान करने में विफल रहा है और राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 के नियम 21 के उप नियम (3) के अनुसार जो वर्तमान में उत्तरांचल में लागू है, उसकी सेवाओं को समाप्त कर देने का प्रस्ताव करते हैं। राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा देने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सेवोन्मुक्त करना उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम 3 के अन्तर्गत सेवा से हटाया जाना या पदच्युति किया जाना नहीं है।

(7) "क" अस्थायी सरकारी सेवक के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्त है, उसकी सेवायें एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। उसका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है और इसलिए राज्यपाल एक माह का नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव करते है। ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(8) उ. प्र. सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की सेवा नियमावली जो वर्तमान में उत्तरांचल में भी लागू है, के अनुसार इस सेवा के परिवीक्षाधीन सदस्य को बिना विभागीय परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण किये वेतनमान में प्रथम वेतन वृद्धि लेने का अधिकार नहीं है और वह द्वितीय वेतन वृद्धि सेवा में बिना स्थायी हुए आहरित नहीं कर सकता है। इन नियमों के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतन वृद्धि को रोकने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्यपाल द्वारा यह शास्ति के रूप में अधिरोपित नहीं किया गया है बल्कि यह केवल सेवा की एक स्वीकार्य शर्त का परिणाम है।

(9) एक विभागाध्यक्ष किसी आधिकारिक (आफीशियल) जिसे उसके द्वारा नियुक्त किया गया है पर दो वेतन वृद्धियों को रोक लेने अथवा उस आधिकारिक के वेतन से उस अधिकारिक की असावधानी से शासन को हुई आर्थिक क्षति के भाग की वेतन से वसूली की शास्ति अधिरोपित करता है। आधिकारिक इन शास्तियों को अधिरोपित किये जाने के विरुद्ध राज्यपाल को प्रत्यावेदन देता है राज्यपाल इन प्रत्यावेदनों को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव करते है। आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में नियमों के अन्तर्गत कोई अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि राज्यपाल पहले प्रकरण में शास्ति को घटाकर केवल एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकने का अथवा दूसरे प्रकरण में शास्ति को बढ़ाकर आर्थिक क्षति की सम्पूर्ण वसूली का प्रस्ताव करते हैं तो राज्यपाल द्वारा ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से

परामर्श लिया जाना चाहिये क्योंकि तब प्रकरण विनियम के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आता है।

(10) एक अधिकारिक की पेंशन विभागाध्यक्ष द्वारा कम की जाती है जो ऐसा करने के लिए सक्षम है और वह अधिकारिक निर्धारित अवधि के अन्दर राज्यपाल को अपील प्रस्तुत करता है। राज्यपाल द्वारा अपील का निस्तारण करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। यदि अपील निर्धारित अवधि के अन्दर दायर नहीं की जाती है और इस आधार पर राज्यपाल अपील को खारिज करने का प्रस्ताव करते हैं तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा क्योंकि नियमान्तर्गत अपील स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ यदि राज्यपाल यह पाते हैं कि विभागाध्यक्ष पेंशन में कमी करने के आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था और राज्यपाल विभागाध्यक्ष के आदेश को निरस्त करके स्वयं उस मामले को देखना चाहते हैं भले ही अपील कालातीत हो गई हो, विभागाध्यक्ष के आदेश को निरस्त करने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा लेकिन यदि राज्यपाल स्वयं अधिकारिक की पेंशन में कमी का प्रस्ताव करते हैं तो अन्तिम आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना चाहिये।

(11) जिला कार्यालय में एक लिपिक को जिला अधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युति किया जाता है। यह लिपिक आयुक्त से अपील करता है जो अपील को अस्वीकृत कर देता है तत्पश्चात् यह लिपिक राजस्व परिषद में पुनरीक्षण दायर करता है। इन प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा भी आदेश पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श नहीं किया जायेगा। यह लिपिक अन्ततः राज्यपाल को अभ्यावेदन या मेमोरियल प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसी आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। लेकिन यदि राज्यपाल किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर ओवररूल या परिवर्धित करते हैं कि जिला अधिकारी ने विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अन्तिम आज्ञा पारित करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना चाहिए। लेकिन यदि राज्यपाल जिला अधिकारी के सेवा से पदच्युति के आदेश को केवल निरस्त करते हैं और जिला अधिकारी को विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ करने के निदेश देते हैं तो आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा।

(12) आयोग से परामर्श के पश्चात् राज्यपाल की मूल आज्ञा से सेवा से पदच्युति अधिकारी राज्यपाल की आज्ञा से विरुद्ध राज्यपाल को मेमोरियल प्रस्तुत करता है तो इस मेमोरियल के निस्तारण के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक न होगा। लेकिन यदि पुनर्विचार पर राज्यपाल सेवा से पदच्युति की मूल आज्ञा

को परिवर्धित करके निम्नतर पद पर अवनति करने का प्रस्ताव करते हैं और यह परिवर्धन आयोग द्वारा पहले दी गई राय से मेल न खाती हो तो आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा ।

9. पेंशन/उपादान का दावा- किसी व्यक्ति को जिस पर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डीनरी पेंशन) रूल्स 1941 या उ.प्र. पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961, जो कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में लागू है, क्षति पहुँचने या क्षति पहुँचने के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पेंशन/उपादान देने के किसी दावे पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।"

(आलोक कुमार जैन)
सचिव ।

संख्या: 1405 (1)/कार्मिक-2/2003, तद्दिनांक ।

दिनांक: 08-10-2003 को प्रख्यापित "उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003" की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/ अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को मुद्रित करा कर इसकी 1000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आर0 सी0 लोहनी)
उपसचिव ।

उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 का परिशिष्ठ

लोक सेवा आयोग की परिधि के पद :-

1. नायब तहसीलदार
2. रेंजर
3. प्रवर/अवर वर्ग सहायक
4. वैयक्तिक सहायक (सचिवालय, लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय)
5. आबकारी निरीक्षक
6. औषधि निरीक्षक तथा खाद्य निरीक्षक
7. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 405 Karmik-2 2003 dated 08 - 10 -, 2003

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
PERSONNEL DEPARTMENT
NO 1405 /Karmik-2/2003
Dehradun: Dated 08 - 10 -, 2003

In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and in supersession of the regulations published with Notification No. 95 II B-151-50, Dated 29th January 1954 as amended from time to time which are at present applicable in Uttaranchal State, the Governor of Uttaranchal is pleased to make the following regulations as respects the services and posts in connection with the affairs of the State of Uttaranchal other than services and posts to which appointments are made from among members of All India Services, or are regulated by the rules and orders applicable to such services:

1. Short title and commencement- These regulations may be called The Uttaranchal Public Service Commission (Limitations of functions) Regulations 2003, and shall come in to post from the date of this notification.

2. Definitions- Unless there is anything repugnant to the subject or context- In these regulations.

(a) "Appointing authority" means the authority which makes appointments to any service or posts in connection with the affairs of Uttaranchal,
(b) "Commission means the Uttaranchal Public Service Commission,
(c) "Constitution" means the Constitution of India;
(d) "Direct Recruitment" means recruitment otherwise other than by promotion, transfer or deputation under regulation 4(a)
(e) Governor" and "Government" means respectively, Governor and Government of Uttaranchal,
(e e) Group "C post" or Group "D post" means the post specified as such in the service rules applicable to the post, and if there are no such rules, in the order issued by the Government from time to time.
(f) "Service" or "Post" means civil service or post in connection with the affairs of Uttaranchal

3 It shall not be necessary for the Commission to be consulted in the following cases of direct recruitment to civil services and civil posts -

(a) On all matters relating to methods of recruitment to Group "C" posts and Group "D" posts.

(b) On the principle to be followed in making appointment to Group C posts and Group "D" posts and on the suitability of candidates for such appointments.

Provided that the Government may, after consultation with the Commission direct that any Group "C" posts shall be within the purview of the Commission,

Provided further that where any Group "C" posts is within the purview of the Commission before the commencement of the Uttaranchal Public Service Commission (Limitations of Functions) Regulation 2003 such posts shall continue to remain within the purview of the Commission.

(c) When the appointing authority in respect of the service or post concerned is the Governor, or is an authority other than the Governor and the person concerned being directly appointed on ad hoc basis on or before the date notified by the Government possessed requisite qualifications for regular appointment at the time of such ad hoc appointment and has completed three years continuous service on or after the said date.

Note- The services and posts mentioned in the scheduled appended to this regulation shall continue to remain under the purview of the Commission until direction to the contrary is issued by the Government after consultation with the Commission

4 It shall not be necessary for the Commission to be consulted on matters relating to methods of recruitment to civil services and posts, or the principle to be followed in making appointments to such services and posts or the suitability of candidates for such appointments in the following cases, namely

(a) When it is proposed by the Governor to appoint a member of a State Service or a Subordinate Service on deputation to a ex- cadre of that service post, temporary or permanent, the status and responsibilities of which are such as may, in the opinion of the Governor, be adequately fulfilled by that member of the service;

Note- The term "member of a service" in this clause means a person holding in a substantive capacity a post included in the cadre of that service

<u>Illustrations-</u>

(i) The appointment of an officer of the Uttaranchal Educational Service to the post of under secretary, Deputy Secretary, Joint Secretary, Additional Secretary or Officer on Special Duty in the Secretariat, does not require consultation with the Commission.

(ii) The appointment of a member of the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch) as Deputy Development Commissioner, or Joint Secretary, Additional Secretary in Uttaranchal Secretariat or in any Government Undertaking Corporation such as Garhwal Mandal Vikas Nigam to the post of General Manager or Managing Director or to the post of Registrar in a University on the basis of deputation which does not involve the

termination of his lien in the Uttaranchal Civil Services (Executive Branch) does not require consultation with the Commission.

(iii) The appointment of a member of the U.P. Secretariat Service (Section Officer Grade) as an under Secretary or Deputy Secretary to Government or appointment to the post of Officer on Special Duty in Uttaranchal Secretariat does not require consultation with the Commission

(b) When an appointment is to be made by the Governor to any post the expenses of which are charged on the consolidated Fund of the State

(c) The appointment of Higher Judicial Service Officer of the State, the Registrar, Deputy Registrar, Official Trustee and Law Reporters in the High Court at Nainital

(d) The appointment of a Non-commissioned Officer or Warrant Officer of the defence forces to a Civil post which is or in the opinion of the Governor should be normally held by such officers and the temporary appointment of an officer of the Defense Forces to a Civil Service or post.

5. Notwithstanding anything contained in regulation 3 and 4, it shall not be necessary for the Commission to be consulted in the following cases, namely-

(a) When a temporary or officiating appointment is to be made by direct recruitment by the Governor or an authority other than the Governor to a permanent or temporary post which falls within the purview of the Commission, if the person to be appointed is not likely to hold the post for a period of more than one year, provided that the person thus appointed shall not hold the post in question for a total continuous period of more than one year without the Commission being consulted.

<u>Illustration-</u>

(a) A retired officer of the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch) is re-employed as a Joint Secretary to Government in a temporary post. It will not be necessary to consult the Commission, if the re-employed officers is not likely to hold the post for more than one year, but he shall not be retained in the post for more than one year without the Commission being consulted

(b) In regard to the selection for appointment to any post which falls within the purview of the Commission, if the Governor has decided, after consultation with the Commission, that it should be filled by recruitment from outside India, provided that consultation with the Commission may be dispensed with if it is necessary in the opinion of the Governor that the appointment should be made immediately and reference to the Commission would cause undue delay

(c) In regard to recruitment to the subordinate ranks of the Police Force of the State

Explanation- The expression "Police Force" in this clause includes the Provincial Armed constabulary (P A C) and other similar formations.

6. Promotions-

It shall not be necessary to consult the Commission on the principles to be followed in making promotion or on the suitability of candidates for promotion in the following cases, namely:-

(a) Promotions to those Group 'C' posts, direct recruitment where of is not made through the Commission or promotion from one non-gazetted post to another non-gazetted post

(b) Promotion from Group 'C' posts to Group 'B' posts or promotions from one gazetted post to another gazetted post where promotion is the only mode recruitment

Clause (b) When the appointing authority in respect of the service or post concerned is the Governor or is an authority other than the Governor and the person concerned being promoted on ad hoc basis on or before the date notified by Government possessed requisite qualifications for regular promotion at the time of such ad hoc promotion and has completed three years continuous service on promoted post on or after the said date

7. Transfers-

It shall not be necessary to consult the Commission on the principles to be followed in making transfers or on the suitability of candidates for transfer, from one post to another in the same services

Provided that if a service is divided into two or more separate sections, and it is proposed to transfer an officer from one such section to another, the Commission shall be consulted if according to the rules of the service, recruitment to the section to which the officer is to be transferred may be made, either directly or by promotion, in consultation with the Commission

8. Disciplinary matters-

It shall not be necessary to consult the Commission prior to an order passed in any disciplinary case except when

(a) an original order is passed by the Governor imposing any of the following penalties

(i) withholding of increments in the time-scale.

(ii) reduction to a lower post or time-scale or to a lower stage in a time scale,

(iii) recovery from pay or pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence, or breach of rules or orders,

(iv) removal from service,

(v) dismissal from service; and

(vi) reducing or withholding or withdrawing the pension as admissible under the rules governing pensions.

Provided that if the order is passed by the Governor under proviso (c) to clause (2) of Article 311 of the Constitution or by the Governor or the High Court under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947 as amended from time to time and which are applicable in Uttaranchal at present, or the increment is stopped as a result of withholding of the integrity certificate, it shall not be necessary to consult the Commission.

Provided further that if in any case, the Commission have already at any previous stage given advice as to the order to be passed and no fresh question of substance has, in the opinion of the Governor thereafter arisen for determination, it shall not be necessary for the Commission to be consulted again before a final order is passed by the Governor

(b) a final order is passed by the Governor on appeal against the orders passed by a subordinate competent authority, if the appeal is admissible under the rules

<u>Explanation-</u> An order passed by the Governor, in view of certain material defects in procedure followed by a subordinate authority, requiring the competent subordinate authority to start disciplinary proceedings afresh, or from a subsequent stage as the case may be shall not be deemed to be a final order by the Governor for the purpose of this clause

<u>Exception-</u> In cases of appeals from Civil court employees against the punishment awarded under the Subordinate Civil court officials (Punishment and Appeal) Rules 1948, consultation with the Public Service Commission would not be necessary.

(c) an order is proposed to be passed by the Governor, otherwise than under clause (b), over ruling or modifying the order of a subordinate authority whether original, appellate or revisionary:

Provided that if the order proposed to be passed by the Governor merely directs a competent subordinate authority to start disciplinary proceedings afresh or from a subsequent stage as the case may be, in view of certain material defects in procedure followed by the subordinate authority concerned, consultation with the Commission shall not be necessary

Illustrations-

(1) The Governor proposes to censure an officer of the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch) Consultation with the Commission is not necessary before such an order is passed by the Governor Similarly consultation with the Commission will not be necessary before such an officer is placed under suspension pending inquiry into the officer's misconduct

(2) The Governor proposes to reduce a Tahsildar 'X', who had been substantively promoted to the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch) to the rank of Up Ziladhikari The Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor But if 'X' is merely officiating as a Up Ziladhikari and finding his work unsatisfactory, the Governor at any time proposes to revert 'X' to his substantive post of Tahsildar, it shall not be necessary to consult the Commission before orders are passed by the Governor regarding 'X's reversion In another case, certain grave allegations are made against Tahsildar 'A's who is officiating as a Up Ziladhikari, which prima facie seem to the Governor to be justified and the Governor, therefore, considers it necessary in the public interest that 'A' should be formally punished After disciplinary proceedings have been conducted against A in the prescribed manner the Governor proposes to impose upon him the penalty of "reduction to a lower post", and in consequence to revert him to his substantive post of Tahsildar 'A's reversion in this case will require consultation with the Commission.

(3) A temporary Assistant Engineer in the Public Works Department who is officiating as an Executive Engineer is alleged to have committed certain serious irregularities in connection with the construction of a departmental building Charges are framed against him accordingly and the Chief Engineer is asked by the Governor to conduct formal disciplinary proceedings against the Executive Engineer, and to submit his report to the Governor After considering the Chief Engineer's report, the Governor decides not to impose any of the formal penalties mentioned under clause (a) upon the Executive Engineer, but in view of certain unsatisfactory aspects of the officer's conduct as disclosed in the Chief Engineer's report, the Governor considers that the officer is not fit to hold the post of Executive Engineer and therefore, issues executive orders reverting the officer to the post of Assistant Engineer Consultation with the Commission is not necessary before such an executive order of reversion is passed by the Governor because the order does not specifically involve the imposition of the formal penalty of "reduction to a lower post", as mentioned under clause (a) of the regulation

(4) Certain bags of wheat flour are found missing from a rationing godown in a district which is in charge of the District Supply Officer After considering the report of the District Supply Officer, the Governor

considers that the loss has been caused by the negligence of the District Supply Officer, and calls upon the latter to make good the loss to Government. The District Supply Officer agrees to do so. Consultation with the Commission will not be necessary in this case, because the recovery of the amount has not been formally ordered to be made from the pay of the District Supply Officer. But is case the District Supply Officer does not agree to make good the loss, and the Governor proposes that the loss should be made good to Government by making recoveries from the pay of the District Supply Officer the Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor.

(5) 'A' subordinate service officer employed under the Director of Agriculture is dismissed from service by the later who is competent to do so. Consultation with the Commission is not necessary in this case because the penalty of dismissal from service is not imposed by the Governor.

(6) 'A' who is a member of the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch) on probation is reported, at the end of his period of probation, to have failed to give satisfaction and the Governor, therefore, proposes to dispense with his services in accordance with rule 21 of the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) rules 1982, which are applicable in Uttaranchal at present consultation with the Commission is not necessary before an order is passed by the Governor because the discharge of a person under such circumstances does not amount to removal or dismissal from service within the meaning of rule 3 of the Uttaranchal Government servant (Discipline And Appeal) Rules 2003.

(7) 'X' is a temporary Government servant employed as a Regional Transport Officer, his service being terminable on one month's notice. His work is not found satisfactory, and the Governor, therefore, proposes to terminate his services after giving him the prescribed notice of one month. Consultation with the Commission is not necessary before such an order is passed by the Governor.

(8) According to the rules of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) which are applicable in Uttaranchal at present, a member of the service on probation is not entitled to draw the first increment in the time-scale unless he passes Part I of the Departmental Examination, and to draw the second increment unless he is confirmed in service. The withholding of the first and second increments according to these rules does not require consultation with the Commission because it has not been imposed by the Governor as a penalty, but is merely the consequence of an accepted condition of service.

(9) A head of Department imposes upon an official who has been appointed by him, the penalty of withholding of two increments or of recovery from

the official's pay of a part of the pecuniary loss which has been caused to Government by the official's neglience. The official submits representations to the Governor against the imposition of these penalties. The Governor proposes to reject these representations. Consultation with the Commission will not be necessary, because under the rules, no appeal lies in either of these two cases. But if the Governor proposes to reduce the penalty in the first case to the withholding of increment for one year only, or in the second case to enhance the penalty to the recovery of the whole of the pecuniary loss caused to Government, the Commission should be consulted before such an order is passed by the Governor, as the cases will then fall under clause (c) of the regulation.

(10) The pension of an official is reduced by the Head of the Department who is competent to do so, and that official submits an appeal to the Governor within the prescribed time limit. The Commission should be consulted before the appeal is disposed of by the Governor. But if the appeal is not field within the prescribed time-limit, and on that ground, the Governor proposes to dismiss the appeal, consultation with the Commission will not be necessary, because the appeal is not admissible under the rules. If, on the other hand the Governor finds that the Head of the Department was not competent to pass the order of reduction in pension, and the Governor, therefore, proposes to deal with the case himself, even though the appeal is time barred, after cancelling the order passed by the Head of the Department, consultation with the Commission will not be necessary regarding the cancellation of the order passed by the Head of the Department, but in case the Governor himself proposes to make a reduction in the official's pension the Commission should be consulted before such a final order is passed by the Governor.

(11) A clerk in a district office is dismissed by the District Officer. The clerk appeals to the Commissioner who rejects the appeal. The clerk then files a revision before the Board of Revenue. The Commission will not be consulted before an order is passed by any of these authorities. The clerk finally submits a representation or memorial to the Governor which the latter proposes to reject. Consultation with the Commission will not be necessary before such an order is passed by the Governor. But if the Governor proposes to over-rule or modify the order passed by any of the subordinate authorities, the ground being that the District Officer did not comply with the prescribed procedure, the Commission should be consulted before a final order is passed in the case by the Governor but not if the Governor merely cancels the order of dismissal passed by the District Officer and directs the latter to start disciplinary proceedings afresh in accordance with the prescribed procedure.

(12) An officer who was dismissed from service by an original order of the Governor, passed after consultation with the Commission, submits a

memorial to the Governor against that order. Consultation with the Commission will not be necessary about the disposal of the memorial. But if the Governor proposes, on reconsideration, to modify the original order of dismissal to that of reduction to a lower post, consultation with the Commission would be necessary if this modification is at variance with the advice that had been given by the Commission on the previous occasion.

9- Claim for Pension/ Gratuity- Any person who sustains injuries or dies due to injuries sustained and a claim for pension/gratuity is made under U.P. Civil Services (Extra-ordinary pension) Rules, 1941 or U.P. Police (Extra-ordinary pension) Rules, 1961, which are in force in Uttaranchal State, it shall not be necessary to consult the Commission for admissibility of any such claim.

(Alok Kumar Jain)
Secretary.

Schedule appended to the Uttaranchal Public Service Commission (Limitation of Funections) Regulations, 2003

Post under the perview of Public Service Commission:-

1- Naib Tahsildar
2- Ranger
3- Upper/Lower divison assistant (Secretariat, Public Service Commission and High Courrt)
4- Personal assistant
5- Axcise Inspector
6- Medicine Inspector & Food Inspector
7- Zila Yuwa Kalyan avam Prantiya Rakhak Dal Adhikari